CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED, RAIPUR

(A Government of Chhattisgarh Undertaking) (A Successor Company of CSEB)

PUBLIC NOTICE

In compliance to the provisions of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's MYT Regulations, 2015, Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited has submitted petition (No.101/2015(M)) for approval of Capital Investment Plan before the Commission for the Third Control Period of five years from FY 2016-17 to FY 2020-21. The year wise estimated Capital Expenditure proposed by CSPTCL under this Capital Investment Plan is as given below:- **(Amount in Rs Cr.)**

Particulars	FY 2016-17	FY 2017-18	FY 2018-19	FY 2019-20	FY2020-21	TOTAL
Spill over work	472.92	331.35	208.75	102.41	104.20	1219.63
New ND work	457.00	488.80	640.20	526.50	370.50	2483.00
TOTAL	**929.92**	820.15	848.95	628.91	474.70	3702.63

Copies of the petition are available at Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office and Company's head office at Dangania, Raipur, which can be purchased on any working day on payment of Rs. 150/- & may also be obtained by post on payment of additional charge of RS. 50/- . Copies of petition are also available at website **www.cseb.gov.in** and **www.cserc.gov.in.**

Persons intending to file objections/ suggestions relating to Capital Investment Plan may send the copies of objections / suggestions with documents, if any, in support thereof directly to Executive Director (C&P), CSP Transmission Company Limited and to the Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur within 21 days of the date of publication of this notice. Ojections / comments may also be sent through Fax to Executive Director (C&P), CSPTCL at 0771-2574698 and to CSERC at Fax No. 0771-4073553. The Commission may give a chance to the persons filing the objections/suggestions to participate in hearing. Date and place of hearing shall be published by CSERC in the newspaper separately.

Executive Director (C&P)

SAVE ELECTRICITY

Work Order No .... dtd. 09.01.15 Size 9x3

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, रायपुर

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी)

आम सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के (बहुवर्षीय टैरिफ के सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ निर्धारण) विनियम, 2015 के प्रावधानों के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक की पॉच वर्ष की अवधि के लिए केपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान के अनुमोदन हेतु याचिका (क्रमांक 101/2015(M)) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसके अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित द्वारा पूंजीगत मद में प्रत्येक वर्ष निवेश की जाने वाली अनुमानित राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	कुल
Spill over work	472.92	331.35	208.75	102.41	104.20	1219.63
New ND work	457.00	488.80	640.20	526.50	370.50	2483.00
कुल योग	**929.92**	**820.15**	**848.95**	**628.91**	**474.70**	**3702.63**

उपरोक्त याचिका की प्रतियां छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कालोनी, शांतिनगर रायपुर के कार्यालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, डंगनिया, रायपुर के मुख्यालय में उपलब्ध है, जिन्हें रूपए 150/– के भुगतान कर किसी भी कार्यालयीन दिवस पर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त भुगतान के साथ डाक व्यय हेतु रूपए 50/– के अतिरिक्त भुगतान पर उक्त कार्यालयों से डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। इसका अवलोकन वेबसाईट **www.cseb.gov.in** एवं **www.cserc.gov.in** पर भी किया जा सकता है।

संबंधित पक्षकारों से केपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान के संदर्भ में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। आपत्ति/सुझाव उक्त केपिटल इन्वेटमेंट प्लान की आम सूचना जारी होने के 21 दिन के भीतर कार्यपालक निदेशक(सीएण्डपी), छराविपारेकंमर्या., रायपुर एवं सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कालोनी, शांतिनगर रायपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आपत्ति/सुझाव कार्यपालक निदेशक (सीएण्डपी), छराविपारेकंमर्या., रायपुर के फैक्स क्र. 0771–2574698 एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के फैक्स क्र. 0771–4073553 पर भी भेजी जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग उक्त आपत्ति/सुझाव दर्ज कराने वाले व्यक्ति/संस्था को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई में सम्मिलित होने का अवसर दे सकता है। सुनावई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

"स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें।"

कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य एवं योजना)

Work Order No .... dtd. 09.01.15 Size 9x3